बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

निम्न वर्गीय लिपिक, बिहार लोक सेवा आयोग (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि॰सं॰ 04/2021)

विज्ञापन संख्या 04/2021, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 24 (चौबीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26.02.2022 को आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर प्रदर्शित है।

2. मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे:–

(क) प्रश्न पत्र 1 : विषय– सामान्य हिन्दी :–

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ सामान्य हिन्दी के प्राप्तांक का योग अथवा गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय, सामान्य ज्ञान (प्रश्नपत्र–2) के उत्तर पत्रक (OMR) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(iii) प्रश्न पत्र –1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।

(iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या– 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 04 (चार) अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2: विषय–सामान्य ज्ञान :–

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:–

(क) सामान्य अध्ययन – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच – प्रश्नों की संख्या 50 होगी।

(iii) प्रश्न पत्र–2 हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा।

(iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 04 (चार) अंक होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा वि॰सं॰–06060114, प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 का है तथा यहाँ अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3. मेधा सूची :–

(i) मुख्य परीक्षा में उपरोक्त प्रश्न पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी। उत्तीर्णता हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक– 16.07.2007 एवं पत्रांक–6706, दिनांक–01.10.2008 के आलोक में मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकण एवं कम्प्यूटर जाँच में शामिल होना होगा। **टंकण जाँच परीक्षा मात्र कम्प्यूटर यंत्र पर मंगल फॉन्ट में ली जायेगी।** उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को दस (10) मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ (1½) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। इस जाँच के आधार पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा–सूची आयोग द्वारा तैयार की जायेगी।

4. आरक्षण:–

(i) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा, एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी निवास का पता मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में भी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।**

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा डब्लू॰पी॰(सी॰) संख्या–1052/2021, सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–21.02.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के ज्ञापांक–6026 दिनांक–19.04.2022 के आलोक में Lohar (लोहार) जाति को विभागीय परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 (गजट अधिसूचना संख्या–689 दिनांक–23.08.2016 को निरस्त करते हुए बिहार राज्य के लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी अनुमान्य सुविधाओं के स्वतः रद्द हो जाने की स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पूर्व की भाँति अनुमान्य होगी। तदालोक में बिहार राज्य के लोहार जाति के उम्मीदवार को उक्त कोटि के आरक्षण के लाभ हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) **(A)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b)स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(v) आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति	SC
2.	अनुसूचित जनजाति	ST
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग	BC
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	EWS

(vi) दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

5. शुल्क :–

(i) सामान्य/अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये
(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क अलग से देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं। **लोहार जाति को छोड़कर प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन करने के समय अंकित की गई आरक्षण कोटि के अनुसार परीक्षा शुल्क मान्य होगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।**

6. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–

1.	**ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि**	**दिनांक–01.09.2022**
2.	**ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि**	**दिनांक–15.09.2022**

(i) ध्यातव्य है कि आवेदक द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक, बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, वि.सं. 04/2021 हेतु ऑनलाईन आवेदन के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वही सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनालाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक केवल उक्त ऑनलाईन आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(iv) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(v) **ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** (Unsuccessful Payment/ Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

(vi) **मात्र भुगतान कर देने से यह नहीं माना जायेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है। अभ्यर्थी शुल्क भुगतान के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सुरक्षित रख लेंगे।**

7. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा एवं यहा आवेदन की अस्वीकृति का आधार भी हो सकता है।

8. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

9. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 16.04.2021 के पूर्व का उपलब्ध हैं, अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

10. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

11. **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

12. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

30.8.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।